भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे बंदी की मौत

परिजनों ने जेल प्रशासन और अस्पताल पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए

- चर्चित संजय बिहारी हत्याकांड में दोषी था मृतक और तीन महीने पहले उम्रकैद की सजा सुनाई थी
- मृतक की पत्नी कृतिका ने बताया कि उनके पति ने जेल से बेटी को फोन कर अपनी तबीयत खराब होने की जानकारी दी थी

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल में शुक्रवार देर रात आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी कृष्ण कुमार (57) उर्फ बेबी की मौत हो गई। वह चर्चित संजय बिहारी हत्याकांड में दोषी था और करीब 3 महीने पहले ही उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन और अस्पताल पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय बिहारी हत्याकांड में कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इनमें से एक आरोपी नरेश सिंघल की 23 अक्टूबर 2025 को सेंट्रल जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अब कृष्ण कुमार की मौत के बाद एक ही मामले में 2 दोषियों की जेल में मौत हो चुकी है। तीसरा आरोपी फिलहाल जेल में बंद है।

मृतक की पत्नी कृतिका ने बताया कि उनके पति ने जेल से बेटी को फोन कर अपनी तबीयत खराब होने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि उनका शुगर लेवल 400 तक पहुंच गया है और रोज जांच के बावजूद कोई सुधार नहीं हो रहा। साथ ही जेल में दवाइयां भी नियमित रूप से नहीं मिल रही थी। कृतिका ने बताया कृष्ण कुमार को दो बार डॉक्टर को दिखाया, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब लगने के बाद भी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। परिवार ने जेल प्रशासन से जरूरत पड़ने पर आरबीएम अस्पताल या जयपुर में इलाज कराने की बात भी कही थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों के अनुसार कृष्ण कुमार को अस्थमा, ब्लड प्रेशर और शुगर की गंभीर बीमारी थी। इसके बावजूद जेल प्रशासन ने समय पर समुचित इलाज नहीं कराया। मृतक रोज फोन कर अपनी खराब तबीयत की जानकारी देता था।

कृतिका ने बताया कि जेल गार्ड का कहना है कि उनके पति को रात करीब 2 बजकर 30 बजे अस्पताल लाया गया था और रात 3 बजे उनकी मौत हुई। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि कैदी को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। कृतिका ने कहा कि जिस संजय बिहारी हत्याकांड में उनके पति को सजा दी गई, उसमें कोई ठोस सबूत नहीं था। संजय बिहारी की पत्नी ने बयान दिया था कि हत्या शाम 5.30 बजे हुई, जबकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का समय 6.30 बजे बताया गया है। ऐसे में हत्या का आरोप उनके पति पर कैसे लगाया गया, यह समझ से परे है। इस हत्याकांड में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। दो महीने पहले 23 अक्टूबर 2025 को इसी मामले में दोषी नरेश सिंघल की सेंट्रल जेल में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। अब तीन में से दो आरोपियों की जेल में मौत हो चुकी है।

यह मामला 28 जनवरी 2023 का है। कृष्ण कुमार उर्फ बेबी और नरेश सिंघल ने संजय बिहारी को फोन कर अपने घर बुलाया था। घर पहुंचने पर तीनों चाय पी रहे थे। इसी दौरान कृष्ण कुमार कमरे से कट्टा लाया और पीछे से संजय बिहारी को गोली मार दी। इलाज के दौरान संजय बिहारी की मौत हो गई। हिस्ट्रीशीटर संजय बिहारी की हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया था। 19 सितंबर 2025 को जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक ने कृष्ण कुमार उर्फ बेबी को 60 हजार रुपए जुर्माने के साथ आजीवन कारावास और नरेश सिंघल को 50 हजार रुपए जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

दो ट्रकों की भिड़ंत में चालक की मौत, खलासी घायल

रामगंजमंडी, (निसं)। क्षेत्र के खैराबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खैराबाद बाईपास पर दो ट्रकों की आमने-सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक ट्रक का चालक केबिन में फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक का खलासी गंभीर रुप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाला ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

- टक्कर मारने वाला ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया

खैराबाद बाईपास पर हुये हादसे में ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया।

रामगंजमंडी थाना एसआई सुरेश मीणा ने बताया कि हादसे में आक्यापुरा, गरोठ, मंदसौर (मध्यप्रदेश) निवासी कालूनाथ की मौत हुई है। कालूनाथ रामगंजमंडी में ट्रक का कार्य करवाने आया हुआ था। वह रात करीब नौ बजे के बीच ट्रक की जांच कर रहा था। इसी दौरान खैराबाद से उंडवा रोड की ओर जा रहा प्याज से भरा ट्रक खैराबाद बायपास पर सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से टकरा गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस की मदद से केबिन में फंसे चालक को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में ट्रक का खलासी ईश्वर घायल हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा अनुसंधान जारी है। वहीं फरार ट्रक चालक की तलाश शुरु कर दी है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद मृतक का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।

बीकानेर से भोपाल जा रही बस पलटी, 12 यात्री घायल

हादसा कोटा में एनएच 52 पर जगपुरा और कसार के बीच केवल नगर व आलनिया की सीमा में हुआ

कोटा, (निसं)। बीकानेर से भोपाल जा रही स्लीपर कोच बस नेशनल हाईवे 52 पर अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार यात्रियों में से करीब 12 से अधिक यात्रियों को चोट लगी है, जिनमें से चार से पांच लोगों को अस्पताल में उपचार के लिये ले जाया गया,शेष घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। बस पलटने की सूचना पाकर रानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

जानकारी के अनुसार हादसा नेशनल हाईवे 52 पर जगपुरा और कसार के बीच केवल नगर व आलनिया की सीमा में हुआ है। बस सड़क के साईड में पलटी हुई थी, ऐसे में उसमें फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया और तत्काल एंबुलेंस की मदद से निजी अस्पताल में भेजा गया। बस में 35 लोग थे सवार थे। रानपुर थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि बीकानेर से भोपाल जा रही स्लीपर कोच बस नेशनल हाईवे 52 पर केवल नगर व आलनिया के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में परिचालक घायल हो गया, जबकि चालक को चोट नहीं लगी है, घायलों में तीन चार महिलाएं भी हैं सभी को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। एएसआई राम सिंह ने बताया कि मामले में सामने आया कि बस के आगें ट्रक चल रहा था और बस के आगे अचानक से कुछ आ जाने से बस अनियंत्रित होकर पलटा खा गई। एएसआई ने बताया कि घटना के बाद बस में सवार सभी लोग हाईवे पर साईड में आकर बैठ गए थे, दूसरी तरफ बस को क्रेन की मदद से सीधा किया गया और हाईवे से हटाया गया है।

जैसलमेर में पुलिस कॉन्स्टेबल ने सिर में गोली मारकर सुसाइड किया

फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए, पुलिस ने सर्विस रिवॉल्वर को कब्जे में लिया, मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला

- कॉन्स्टेबल सुबह सरकारी क्वार्टर से बाहर नहीं आया तो साथियों ने कमरा खटखटाया
- कोई आवाज नहीं आने पर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो कमरे में खून से सना शव पड़ा था

जैसलमेर, (निसं)। जैसलमेर पुलिस लाइन में कॉन्स्टेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। कॉन्स्टेबल सुबह बाहर नहीं आया तो साथियों ने कमरा खटखटाया। कोई आवाज नहीं आने पर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो कमरे में खून से सना शव पड़ा था। फिलहाल सरकारी क्वार्टर को सील कर दिया गया है। शनिवार सुबह दस बजे के बाद सूचना मिलने पर मौका मुआयना कर परिजनों को सूचित किया है। परिवार वालों के आने के बाद ही खोला जाएगा।

एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि कॉन्स्टेबल नरेंद्र मीणा 2015 बैच के थे, वो फिलहाल ड्यूटी पर थे। सवाईमाधोपुर के रहने वाले कॉन्स्टेबल नरेंद्र मीणा (30) की तैनाती जैसलमेर पुलिस लाइन में थी। पुलिस लाइन में ही वह अपने परिवार के साथ रहते थे। वर्तमान में उनका परिवार सवाईमाधोपुर गया है। वह घर में अकेले ही थे। शनिवार सुबह उनके आवास में कोई हलचल नहीं हुई तो साथी पुलिसकर्मियों को अनहोनी की आशंका हुई। आसपास रहने वाले पुलिसकर्मियों ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार साथियों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर सामने बेड पर नरेंद्र का शव पड़ा था। आसपास खून ही खून था।

पुलिस अधिकारियों द्वारा फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। मौके से सबूत जुटाए गए। पुलिस ने सर्विस रिवॉल्वर को भी कब्जे में ले लिया है। बॉडी अभी कमरे में ही पड़ी है। परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार, कॉन्स्टेबल नरेंद्र मीणा पिछले कुछ दिनों से अकेले रह रहे थे। कुछ दिन पहले ही उनका परिवार सवाईमाधोपुर गया हुआ था। फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस जांच कर रही है।

तस्कर की कार में 28 किलो अफीम का दूध मिला

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरु की

जोधपुर, (कासं)। कमिश्नरेट की जिला पूर्व पुलिस ने डीएसटी के साथ मिलकर करवड़ क्षेत्र में एक कार चालक को रूकवाकर गाड़ी की तलाशी ली। कार से पुलिस को 28 पैकेट मिले हैं, जिसमें अफीम का दूध मिला, जिसका वजन 28 किलो 508 ग्राम है। पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर अग्रिम जांच आरंभ की है। कार्रवाई पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश के निर्देशानुसार की गई।

पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश, पुलिस उपायुक्त पीडी नित्या के निर्देशानुसार, एडीसीपी पूर्व विरेंद्र सिंह राठौड़ एवं एसीपी मंडोर के सुपरविजन में गठित टीम में शामिल पुलिस निरीक्षक किशनलाल मय डीएसटी पूर्व की टीम ने शुक्रवार की देर रात मंडलनाथ के पास सूचना के आधार पर नाकाबंदी की। एक कार में तस्कर द्वारा भारी मात्रा में मादक पदार्थ लाए जाने की जानकारी मिली। पुलिस ने करवड़ की तरफ आ रही कार को मंडलनाथ मार्ग पर रोका। सूचना पर संदिग्ध कार को रूकवाकर तलाशी ली। कार में सवार युवक से पूछताछ की गई।

डीसीपी ईस्ट पीडी नित्या ने बताया कि कार में 28 पैकेट मिले हैं जो कि वजन में एक-एक किलो के हैं। पैकेट में अफीम का दूध मिला है। यह वजन में 28 किलो 508 ग्राम पाया गया। कार चालक लोरडी पंडितजी, करवड़ निवासी नरपतसिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की कार को भी जब्त किया गया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण बनाया गया है। अग्रिम पड़ताल जारी है।

डोडा-चूरा सहित एक गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। शक्करगढ़ पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर 4 किलो अवैध डोडा-चूरा जब्त किया है। थानाधिकारी पूरणमल ने बताया कि एक जनवरी को पुलिस टीम गश्त पर थी। खजूरी रोड पर पुलिस को देखकर एक सफेद ईको कार का चालक गाड़ी भगाने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे रुकवाया, लेकिन चालक गाड़ी छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपी शम्भुनाथ (29) पुत्र सुवानाथ निवासी चारभुजा छांबड़िया थाना जहाजपुर है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी पूरणमल के साथ कॉन्स्टेबल योगेश कल्याण (विशेष योगदान), मंगलराम, गजवीर, जगदीश और रामराज शामिल थे।

तलाकशुदा महिला से इंवेस्टमेंट के नाम पर 64 लाख की ठगी

महिला को ना तो धन का मुनाफा मिला और न ही निवेश किए रूपए मिले

- महिला ने घटना को लेकर महामंदिर थाने में रिपोर्ट दी, पुलिस ने जांच आरंभ की

जोधपुर, (कासं)। शहर के बीजेएस कॉलोनी जेएसबी में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला को शातिरों ने अपनी ठगी का शिकार बना डाला। उससे इंवेस्टमेंट के नाम पर 64 लाख रूपए ऐंठ लिए और फिर साइट बंद कर दी। उसे ना तो मुनाफा मिला और ना ही डाली गई रकम फिर से हासिल हो पाई। महिला ने घटना को लेकर अब महामंदिर थाने में इसकी रिपोर्ट दी है। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और अग्रिम जांच आरंभ की है।

थानाधिकारी देवेंद्रसिंह ने बताया कि बीजेएस कॉलोनी में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला ने यह रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसके तलाक होने पर काफी रकम मिली थी। वह रकम को लेकर किसी अच्छे से फंड में इस्तेमाल करना चाहती थी। बाद में उसने ऑनलाइन धन निवेश के लिए पता लगाया। तब वह किसी नादिर वर्मा और अन्य के संपर्क में आई। इन लोगों ने धन निवेश को डबल करने का लालच दिया। लालच में आकर वह शातिरों के चंगुल में फंस गई। शातिरों ने उसे धन निवेश के नाम पर अपने जाल में फंसा दिया। गत साल नवंबर माह में वह शातिरों के कहे अनुसार निवेश के नाम पर धन को लगाती रही। उसने पिता के रूपए भी निवेश के नाम पर लगा लिए। थानाधिकारी देवेंद्रसिंह ने बताया कि शातिरों ने उससे तकरीबन 64 लाख रूपयों की ठगी कर ली। उसे ना तो धन का मुनाफा मिला और नहीं निवेश किए रूपए वापिस मिल पाए। बदमाशों ने बाद में साइट को बंद कर डाला। ठगी की शिकार महिला ने महामंदिर थाने में रिपोर्ट दी है। थानाधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रकरण दर्ज किया गया है, अग्रिम जांच की जा रही है।

छबड़ा थर्मल पॉवर प्लांट में तबीयत बिगड़ने से मजदूर की मौत

- बताया जा रहा है कि प्लांट में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने से सरकारी वाहन से चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया
- यूनियन की ओर से मृतक परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की

घटना से आक्रोशित मजदूर यूनियन ने मांगों को लेकर प्लांट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू किया।

छबड़ा, (निसं)। छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट में शनिवार सुबह एक निजी कंपनी में कार्यरत मजदूर की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना से आक्रोशित मजदूर यूनियन ने प्लांट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिवार में एकलौता कमाने वाला होने के चलते अब मृतक के परिवार के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

जानकारी अनुसार राजू मीणा (37) पुत्र ठाकुर सिंह निवासी नलखेड़ा बीनागंज जिला गुना (मध्यप्रदेश) सुबह करीब 11 बजे प्लांट की साइट पर काम कर रहा था। इसी दौरान उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और वह अचानक अचेत हो गिर पड़ा, जिसे वहां एकाएक रूप से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि प्लांट में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे सरकारी वाहन से छबड़ा उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया है। बताया जा रहा है मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसके परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं। मजदूर की मौत के बाद आर्थिक संकट गहरा गया है।

मजदूर यूनियन अध्यक्ष जगदीश अहीर ने बताया कि घटना के बाद मजदूर यूनियन के बैनर तले प्लांट गेट पर प्रदर्शन किया। यहां यूनियन की ओर से मृतक परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग रखी गई है।

कंपनी के साइट इंचार्ज गौरव झा ने यूनियन को बताया कि मृतक की दोनों बेटियों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी तथा परिवार के दो सदस्यों को अस्थाई नौकरी देने का भी प्रस्ताव है, जो कंपनी के संचालन तक जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि मजदूर यूनियन ने कंपनी के इस प्रस्ताव पर नाराजगी जाहिर करते हुए मांगें पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी।

टोंक में दो वांछित फरार आरोपी गिरफ्तार

टोंक, (निसं)। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव के निर्देशन में निवाई थानाधिकारी घासीराम के नेतृत्व में गठित टीम ने थाने में दर्ज प्रकरण में वांछित आरोपी सूरज उर्फ गोन्या मोग्या पुत्र रामकुंवार निवासी कच्ची बस्ती पांच कुआं निवाई को जिला कारागृह टोंक से प्रोडेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है।

इसी प्रकार पुलिस उपाधीक्षक मालपुरा आशीष प्रजापत के सुपरविजन में पचेवर थानाधिकारी प्रीति रत्नु द्वारा गठित थाना टीम ने थाने में दर्ज प्रकरण में फरार वांछित आरोपी मनीष बैरवा पुत्र रामकिशोर बैरवा निवासी दामोदरपुरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव के निर्देशन मे वृत्ताधिकारी पीपलू रामावतार एवं झिराना थानाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा लोकल स्पेशल एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुये ग्राम रानोली से आरोपी कानाराम पुत्र विश्राम बावरिया (मोग्या) उनिवासी कठमाणा थाना झिराना को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो लीटर हथकड़ शराब जब्त की है। मामले में पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

एएसआई पर रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज

बूंदी, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कोटा इकाई ने बूंदी जिले के गेंडोली थाने में तैनात एक एएसआई के खिलाफ रिश्वत मांगने के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी एएसआई पर एक धोखाधड़ी के मुकदमे में आरोपियों के नाम हटाने और केवल एक व्यक्ति को आरोपी बनाने की एवज में 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी के अनुसार सत्यापन के दौरान आरोपी एएसआई ने परिवादी से 2 हजार रुपए की रिश्वत भी ले ली थी। हालांकि, बाद में उसे संदेह हो जाने के कारण उसने तय की गई शेष 18 हजार की राशि नहीं ली। बावजूद इसके, पुराने सत्यापन, वॉयस रिकॉर्डिंग और रिश्वत मांग के आधार पर एसीबी मुख्यालय जयपुर ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

जोधपुर में आपसी रंजिश में बदमाशों ने युवक को गोली मारी

- पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर में शनिवार को दिनदहाड़े फायरिंग से दहशत फैल गई। बदमाशों ने सरेराह एक युवक को गोली मारी दी। युवक को मथुरादास माथुर हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोली मारने वाले युवक को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच आपसी रंजिश में गोली मारी गई है।

वारदात की सूचना पर प्रताप नगर थानाधिकारी भवानी सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एडीसीपी (वेस्ट) रोशन मीणा ने भी घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि घटना कमला नेहरू नगर के हुडको क्वार्टर चौराहे की है। फायरिंग में चांदणा भाखर, शिव कॉलोनी निवासी आकाश राव घायल हो गया। बदमाशों ने उसके पैर पर गोली मारी है। फायरिंग करने वाले बदमाश प्रदीप को सीएसटी टीम ने पकड़ लिया है। आरोपी से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया है।

गौरतलब है कि कमला नेहरू नगर हुडको चौराहा पर कुछ साल पहले सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए पोल तो लगा था लेकिन कैमरा नहीं लगा। कुछ साल पहले इसी चौराहा पर टैक्सी जलाने की घटना भी हो चुकी है। महिलाओं और बच्चियों से छेड़छाड़ की घटना भी आम बात हैं। मुख्य चौराहे पर अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक हर वक्त जाम रहता है। हैरानी की बात है कि इसी चौराहे पर नगर निगम का भी वार्ड ऑफिस है। इसके बावजूद अतिक्रमण है। पुलिस थाने से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर यह चौराहा है। यहां पार्क में रात को बदमाशों का जमावड़ा रहता है। बदमाश प्रवृत्ति के लड़के सुबह से शाम तक यहां थड़ियों और चौराहे के पास खुली जगहों पर अड्डे बनाकर बैठे रहते हैं। रहवासियों का आरोप है कि यहां कई बार महिलाओं और बच्चियों से छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस ने कभी इन अड्डों पर सख्ती नहीं की।

बीकानेर में बिना वैध वीजा रही दो विदेशी महिलाओं को पकड़ा

बीकानेर, (निसं)। बिना वैध वीजा और जरूरी दस्तावेजों के बीकानेर में रह रही दो विदेशी महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा है। दोनों महिलाएं कोटगेट थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान में रह रही थी, लेकिन उनके पास अनिवार्य सी फॉर्म और अन्य वैध दस्तावेज नहीं मिले। कार्रवाई जिले की कोटगेट थाना पुलिस ने रानी बाजार स्थित एक मकान पर रात करीब दस बजे की।

कोटगेट थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि रानी बाजार क्षेत्र में स्थित एक मकान में दो विदेशी महिलाएं रह रही है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। जांच में सामने आया कि दोनों महिलाएं विदेशी नागरिक हैं और भारत में रहने से संबंधित नियमों का पालन नहीं कर रही थी। पकड़ी गई महिलाओं में एक उज्बेकिस्तान निवासी नर्गिज़ा कुर्बोनोवा है, जबकि दूसरी कजाकिस्तान की तुयचिएवा निलुफर है। दोनों के पासपोर्ट पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। दोनों के संबंध में उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई है।क

थानाधिकारी ने बताया कि जांच में सामने आया कि मकान मालिक ने विदेशी नागरिकों को किराए पर मकान देने से पहले आवश्यक सूचना पुलिस या प्रशासन को नहीं दी गई थी। ऑनलाइन सी-फॉर्म भी जमा नहीं कराया गया। यह विदेशी विषयक अधिनियम 2025 की धारा 8/23 का उल्लंघन है। कोटगेट थाना पुलिस ने दोनों विदेशी महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद डिटेंशन सेंटर भेजा है। मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। मकान मालिक रोचक और सीकर निवासी बाबूलाल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।